GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 4550
(ANSWERED ON 20.08.2025)

FAMILY PENSION TO DIVORCED DAUGHTERS

†4550. SHRI ANIL FIROJIYA:
SHRI ALOK SHARMA:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) the steps taken by the Government to ensure that a divorced daughter of a Government servant is eligible to receive family pension;
(b) whether the family pension is admissible in case the daughter gets divorced after the death of both parents and if so, the details thereof;
(c) whether a daughter is eligible to receive family pension if she is widowed or divorced after the retirement of the Government servant; and
(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (d): Department of Pension and Pensioners' Welfare (DoPPW) has notified the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021. Various provisions have been incorporated in these rules and in the Office Memorandum No. F. No.1/1(1)/2022-P&PW(E) dated 26.10.2022 issued subsequently to ensure that a divorced/widowed daughter of a deceased Government employee or pensioner covered under these rules gets family pension on her turn. The same provisions as described hereunder are provided under separate Rules for Railway and Defence employees and pensioners. In terms of these rules:

Where a deceased Government employee or pensioner is not survived by a spouse or son or daughter eligible for family pension or if they die or cease to fulfil the eligibility conditions for family pension prescribed in the above mentioned rules and there is no disabled child eligible to receive family pension, the family pension shall be granted or continued to be payable to an unmarried or widowed or divorced daughter beyond the age of twenty-five years for life or until she gets married or re-married or until she starts earning her livelihood, whichever is the earliest subject to the conditions like the unmarried or widowed or divorced daughter was dependent on her parent or parents when he or she or they were alive. Further, in the case of widowed daughter, death of her husband and in the case of divorced daughter, her divorce took place or the divorce proceedings filed in a competent court during the lifetime of the Government servant or pensioner or his or her spouse.

******

www.govtstaff.com

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4550
(दिनांक 20.08.2025 को उत्तर देने के लिए)

तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन

4550. श्री अनिल फिरोजिया :
श्री आलोक शर्मा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सरकारी कर्मचारी की तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पात्र हो;
(ख) क्या माता-पिता दोनों की मृत्यु के बाद के तलाक की स्थिति में पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद विधवा या तलाकशुदा होने पर बेटी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पात्र है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों में और बाद में जारी दिनांक 26.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं. 1/1(1)/2022-पीएंडपीडब्ल्यू(ई) में विभिन्न उपबंधों को शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों के अंतर्गत कवर किए गए मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की तलाकशुदा/विधवा पुत्री को उसके क्रमानुसार कुटुंब पेंशन मिले। इन उपबंधों के संदर्भ में जैसाकि नीचे वर्णित है, रेलवे और रक्षा कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए पृथक नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार:

जहां कुटुंब पेंशन के लिए, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का कोई विधवा या विधुर अथवा पात्र पुत्र या पुत्री उत्तरजीवी ना हों अथवा उनकी मृत्यु हो जाए या उपरोक्त नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाए और कुटुंब पेंशन पाने के लिए कोई पात्र नि:शक्त बच्चा ना हो, तो पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक किसी अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को आजीवन अथवा उसका विवाह या पुनर्विवाह होने तक या उसके आजीविका उपार्जन प्रारंभ करने तक, जो भी पहले हो, शर्तों के अध्यधीन, जैसे अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री अपने पिता/माता अथवा माता-पिता पर आश्रित थी जब वह जीवित था/थी या वे जीवित थे, कुटुंब पेंशन अनुज्ञात होगी या कुटुंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, विधवा पुत्री की दशा में उसके पति की मृत्यु और तलाकशुदा पुत्री की दशा में उसका तलाक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या उसके/उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए हुआ हो या तलाक की कार्यवाही सक्षम अदालत में चल रही हो।

*****

www.govtstaff.com